उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1

संख्या: 6/2016/554/22-1-2016-17/2003टीसी-।।

लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या-127/07/एस-2/पी/2015-2016, दिनांक 16-04-2016 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर श्री राज किशोर सिंह, कारापाल को अधीक्षक कारागार (वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 5400/-) के पद पर उनके आसन्न कनिष्ठ की तिथि से प्राक्कल्पित पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 में यथा निर्धारित अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

3- श्री राज किशोर सिंह अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। इनकी नवीन तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

4- उपरोक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या-67995/2015 रीवन सिंह व 02 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश/अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

(एस0 के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 6/2016/554(1)/22-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अपर महानिरीक्षक (प्रशासन), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-127/07/एस-2/पी/2015-2016, दिनांक 16-04-2016 के संदर्भ में।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, द्वारा- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

6- अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

7- सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।